# कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

## वाहन नीलाम विज्ञप्ति

क्रमांक 2160 / विधिक / विक्रय समिति / 2024 दमोह दिनांक– 27/7 / 2024

सर्वसाधारण को इस नीलाम विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि न्यायालय दमोह, जिला दमोह के परिसर में स्थित अनुपयोगी (1) शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.–02 एच.सी.–0160 महिन्द्रा जायलो निष्प्रयोजित राशि रूपये 1,50,000/–मात्र (जहां है, जिस स्थिति में है) उक्त शासकीय वाहन को दिनांक–**22.08.2024** को प्रातः **11:00** बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है। उक्त नीलामी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के नाम से शासकीय वाहन हेतु देय राशि रूपये 3,500/– मात्र का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर भाग लिया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार वाहनों की खुली निविदा के माध्यम से नीलामी हेतु निविदा की शर्ते निम्नानुसार हैः–

### –::निविदा की शर्तें::–

1. शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.–02 एच.सी.–0160 महिन्द्रा जायलो दमोह निष्प्रयोजित राशि रूपये 1,50,000/– मात्र (शासकीय बोली) नियत है।
2. उक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहन की नीलामी में लेने/बोली लगाने हेतु शासकीय वाहन हेतु अमानत राशि रूपये 3,500/– मात्र (रूपये तीन हजार पांच सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के नाम देय, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।
3. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गयी पूरी राशि जमा करने के पश्चात् लौटाया जावेगा।
4. किसी भी बोली को बिना कारण बताये पूर्ण रूप से स्वीकार करने/अस्वीकार करने/आंशिक रूप से स्वीकार करने/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार सर्वथा, "विभागीय नीलामी समिति" दमोह को प्राप्त होगा।
5. अतः नियत दिनांक के पूर्व संबंधित बोलीकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार वाहनों का अवलोकन उपरोक्तानुसार स्थल पर किया जा सकेगा।
6. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।
7. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन क्रेता को प्रदान किया जावेगा।
8. अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 07 दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह के नाम पर देय हो, जमा करवाकर वाहन को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगा।

**9.** संबंधित वाहन कमांक शासकीय वाहन कमांक एम.पी.–02 एच.सी. –0160 महिन्द्रा जायलो दमोह भौतिक निरीक्षण हेतु न्यायालय दमोह जिला दमोह परिसर में उपलब्ध है, इस हेतु जिला नाजिर/नायब नाजिर दमोह से कार्यालयीन दिनांक/समय में संपर्क किया जा सकता है।

**10.** बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयी है, ऐसा माना जावेगा।

**11.** अनुपयोगी शासकीय वाहन के विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर, उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम पंजीयन एवं बीमा कराये जाने की संपूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी।

**12.** वाहन कमांक चेचिस नंबर, इंजन नंबर का मिलान निविदाकार को नीलामी स्थान पर ही करना होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क्रय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।

**13.** उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलिकरण स्थापना पर गठित विभागीय नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

**14.** वाहनों के संबंध में पूछताछ हेतु **श्री सौरभ मिश्रा** (विक्रय आमीन) के दूरभाष नंबर 9329391708 पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)